समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या-04/2017-18

संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को उचे स्थल पर ले जाने एवं आवासन हेतु नाव एवं टेन्ट की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी। तदनुसार निम्न विशिष्टियाँ (Specification) जिसका पूर्ण विवरण नीचे अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा अलग-अलग सील बन्द तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को मो0-10,000/-(दस हजार) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में जिला नजारत शाखा, मधेपुरा में जमा करना है, जो जिलाधिकारी, मधेपुरा के नाम से देय होगा। 10,000/- (दस हजार) रुपये नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसका नाजिर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 12/6/17 के अपराह्न 01:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाताओं एवं उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(A) नावों का वर्गीकरण एवं विशिष्टयॉं :-

क्र0 सं0	नाव का प्रकार	साईज	मात्रा	विशिष्टयॉं
1	2	3	4	5
01	नाव (सखुआ/ जामून लकड़ी का)	बड़ी नाव (25'x6'x2') फीट	आवश्यकतानुसार	1. नीचे तरी-तकता-मोटाई 1.25 इंच 2. तरी की चौड़ाई-72 इंच (6फीट) 3. तरी की लम्बाई-20 फीट 4. तरी पर सपोर्टर मोटाई-4"x2" 5. बगली-तख्ता की मोटाई-1 इंच-26'x2'x1' (दोनों साईड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सपोर्टर की मोटाई-4"x2" (दोनों साईड) 7. बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग-3"x1.25" (दोनों साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा-3"x2.5" 9. मलाह मांग पाटन दोनों साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सपोर्टर 4"x2" दोनो साईड (5 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सपोर्टर (गुरहा)-4"x2" 11. आगे-पीछे मांग-6"x4"x3.5"
02	नाव (सखुआ/ जामून लकड़ी का)	मंझौला नाव (20'x5'x 1.9') फीट	आवश्यकतानुसार	1. नीचे तरी-तकता-मोटाई 1.25 इंच 2. तरी की चौड़ाई-60 इंच (5फीट) 3. तरी की लम्बाई-17 फीट 4. तरी पर सपोर्टर मोटाई-3"x2" 5. बगली-तख्ता की मोटाई-1 इंच-21'x1.5'x1'(दोनों साईड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सपोर्टर की मोटाई-3"x2" (दोनों साईड)। 7. बगली के दोनों साईड बंधन बती-उपरी भाग-3"x1.25" (दोनों साईड)

				8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा-3"x2.5" 9. मलाह मांग पाटन दोनों साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सपोर्टर 4"x2" दोनो साईड (4 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सपोर्टर (गुरहा)-4"x3" 11. आगे-पीछे मांग-5"x3"x3.5"

(B) टेन्ट का वर्गीकरण एवं विशिष्टयाँ :-

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	साइज	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
1	टेन्ट	सिंगल फ्लाई 4x4 मीटर	सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ	तीन जिलों में 500-500 व्यक्तियों के आवास योग्य 2-2 मेगा कैम्पों का निर्माण किया जा सके, उतनी संख्या में टेंटों की आवश्यकता होगी।
		डबल फ्लाई 4x4 मीटर बाहरी उँचाई 2.15 मीटर	सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ	
		टेन्ट फैलाने योग्य 4x4 मीटर	सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ	

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

1. प्रत्येक नावों की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा। नावों के निरीक्षण के पश्चात् नावों पर अलकतरा पेण्ड का कार्य कराया जायेगा। नावों की बाहरी दीवार पर पेण्ड से नावों की क्रम संख्या, आपदा प्रबंधन विभाग, जिले का नाम एवं लदान क्षमता अंकित रहना आवश्यक होगा। सरकारी नावों को पीले रंग के अघुलनशील पेण्ड से रंगा जायेगा, ताकि ज्ञात हो सके कि ये सरकारी नावें है।
2. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा भरना होगा कि आपूर्ति आदेश के बीस दिनों के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरुप, उचित संख्या, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुरुप सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से देंगे एवं आवश्यकतानुसार मधेपुरा जिला के 13 (तेरह) अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज देय हर्नी होगा।
3. निविदादाता नाव एवं टेन्ट के लिए अलग-अलग निविदा दे सकते है।
4. आपूर्तिकर्त्ता बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित हो एवं उन्हें अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, PAN/TIN No. कि छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. निविदादाताओं को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म काली सूची में शामिलन नहीं है।
6. निविदा देने के पश्चात् निविदादाताओं के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों हेतु वाणिज्यकर विभाग से निबंधित नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में निविदा अवैध होगी।
7. निविदादाता यदि बिहार प्रान्त के बाहर है तो उनका कार्यालय बिहार प्रान्त के अन्दर होना चाहिए।
8. आपूर्ति की गयी नाव एवं टेन्ट के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

10. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप नाव/टेन्ट की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गयी नाव/टेन्ट का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

12. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

13. स्वीकृत निविदादाता के द्वारा स-समय नाव/टेन्ट की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।

14. कोई भी निविदा या दावा मधेपुरा जिला के न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

15. आपूर्ति की गयी नाव/टेन्ट के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार बी0एस0टी0 /टी0ओ0पी0 देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जाएगी।

16. सामग्री के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदादाताओं को अधिमानता दी जायेगी।

17. विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी, मधेपुरा के वेबसाईट http://madhepura.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :...253.../ आ0प्र0, मधेपुरा दिनांक-...15.../...5.../2017

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सहरसा /सुपौल /खगड़िया /पूर्णियाँ /कटिहार /अररिया /दरभंगा /भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/5/17
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।